

कांग्रेस अधिवेशन के लिये तैयार प्रस्ताव में भाजपा पर जमकर "अटैक" किया गया है

प्रस्ताव के अनुसार, भाजपा व संघ परिवार ने मुसलमानों को अपना लक्ष्य बना रखा है, सनातन धर्म व हिन्दुत्व के एजेण्डा की ओर जनता को ध्रुवीकृत करने के लिये

-रेणु मिश्रा-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 5 अप्रैल। आठ और नौ अप्रैल को होने वाले ए.आई.सी.सी. अधिवेशन के लिए मसौदा समिति द्वारा प्रस्ताव में कांग्रेस की विचारधारा को महत्व दिया गया है तथा भाजपा और संघ परिवार की विभाजनकारी और असंवैधानिक विचारधारा से निपटने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

प्रस्ताव में भाजपा और संघ परिवार पर तीखा प्रहार किया गया है तथा सनातन व हिंदुत्व एजेंडा को और अधिक मजबूत करने के लिए भाजपा व संघ द्वारा अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने के प्रयासों पर भी हमला किया गया है।

मसौदा समिति के सदस्य, एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने कहा कि, भारत पर लगाए जाने वाले प्रस्तावित टैरिफ के मामले में अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप का

कांग्रेस के प्रस्ताव में मोदी सरकार की तीखी आलोचना इस मुद्दे पर की गई है कि मोदी सरकार ने अमेरिका व राष्ट्रपति ट्रंप के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है, टैरिफ के मुद्दे पर।

मोदी सरकार को इस बात के लिये दोषी बताया गया है कि वह चीन से मित्रता व भाईचारा बढ़ा रही है, जबकि चीन ने अभी भी भारत की 4000 किलोमीटर जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है।

यह प्रस्ताव 8 अप्रैल को अहमदाबाद कांग्रेस की "एक्सटेंडेड सी.डब्ल्यू.सी. (वृहत् कार्यकारिणी) में पेश होगा। इस सी.डब्ल्यू.सी. में 169 नेता भाग लेंगे तथा कांग्रेस में पुनः जोश डालने के लिये तैयार रणनीति पर भी विचार होगा।

महात्मा गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के सौ वर्ष पूरे होने पर तथा वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जन्मतिथि को स्मरण करने के लिए, कांग्रेस का यह अधिवेशन गुजरात में आयोजित किया गया है।

मुकाबला नहीं करने के लिए मोदी सरकार पर भी तीखा आक्रमण किया गया है।

इसी के साथ, मोदी सरकार के चीन के साथ दोस्ताना संबंधों पर भी तीखा

हमला किया गया है, खासकर इस तथ्य के मद्देनजर कि चीन ने भारत की 4000 किलोमीटर से अधिक भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है।

सन् 2024 के लोकसभा चुनावों

में 99 लोकसभा सीटें जीतने के बाद हरियाणा, दिल्ली और महाराष्ट्र में पार्टी की हार के मद्देनजर पार्टी को पुनर्जीवित करने के लिए कांग्रेस को एक रोडमैप (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कोटा में छात्रा ने फाँसी लगाकर आत्महत्या की

कोटा, 5 अप्रैल (निसं)। बोरखेड़ा थाना इलाके में एक छात्रा ने अपने घर में फाँसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कहा जा रहा है कि आत्महत्या का कारण पढ़ाई को लेकर डिप्रेशन हो सकता है। घटना के समय छात्रा घर में अकेली थी।

बोरखेड़ा थाने के एसएसआई मोहम्मद हुसैन ने बताया कि प्रगति नगर निवासी छात्रा प्रतिष्ठा उर्फ दिवंगत (17) ने घर में फाँसी

छात्रा 11वीं कक्षा के साथ ही नीट की तैयारी भी कर रही थी।

लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका की बड़ी बहन ने बताया कि उसकी बहन पढ़ाई के कारण तनाव में थी।

बोरखेड़ा थानाधिकारी देवेश भारद्वाज ने बताया कि मृतका छात्रा 11वीं कक्षा के साथ-साथ नीट की पढ़ाई कर रही थी।

वर्तमान में वह किसी कोचिंग संस्थान की छात्रा नहीं थी। उन्होंने बताया कि घटना के समय माँ दूध लेने गई थी और बड़ी बहन लाईब्रेरी में पढ़ने गई थी। पिता कोटा से बाहर जाँब करते हैं। पिता को भी घटना की सूचना दे दी गई है।

हालांकि, द ऑर्गनाइज़र ने इस लेख को बाद में अपनी पत्रिका से निकाल दिया (विद्युत् कर लिया) पर, यह "अप्रकाशित" लेख काफी राजनीतिक बहसों में मुख्य मुद्दा बना रहा।

राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने संसद में बहस के दौरान भी कहा था कि वक्फ संशोधन विधेयक पारित करके, भाजपा ने अल्पसंख्यकों को टारगेट करने का रास्ता साफ कर लिया है और अब दूसरा टारगेट ईसाई होंगे। राहुल ने शनिवार को यह आशंका, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर पुनः दोहरायी, संसद में भाषण का उल्लेख करते हुए।

राहुल ने यह भी कहा, इस संदर्भ में, कि संविधान ही एक ढाल है, जो हमारे अल्पसंख्यकों को, इस "अटैक" से बचा सकता है।

लोगों को ऐसे हमलों से बचाता है। यह इसकी रक्षा करें।"

हमारा सामूहिक कर्तव्य है कि हम (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सफल आवंटियों को भूखण्ड नहीं देने पर अवमानना नोटिस

जयपुर, 5 अप्रैल। राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बाद भी सफल आवंटियों को पृथ्वीराज नगर योजना में भूखंड नहीं देने पर प्रमुख नगरीय विकास सचिव वैभव गालरिया व जेडीसी आनंदी को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस

हाई कोर्ट के, भूखण्ड का पट्टा देने के आदेश की पालना नहीं होने पर अवमानना कार्यवाही की जा रही है।

नेरेन्द्र सिंह ने यह आदेश डॉ. आरएन अग्रवाल व अन्य की अवमानना याचिका पर दिए।

याचिका में अधिवक्ता राकेश कुमार ने बताया कि याचिकाकर्ता पृथ्वीराज नगर योजना के सफल आवंटित हैं। उन्होंने जेडीए के 15 सितंबर 2006 के आदेश की पालना में भूखंड (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

डा. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 5 अप्रैल। इस सप्ताह शुरुवार को कंपनी की 50 वीं वर्षगांठ के समारोह में माइक्रोसॉफ्ट के कर्मचारियों ने फिलिस्तीन के समर्थन में विद्रोह किया, जो आई.टी. पेशेवरों में इजरायल के खिलाफ तीव्र आक्रोश को दर्शाता है। यह विरोध प्रदर्शन समारोह में कंपनी के सह संस्थापक बिल गेट्स और पूर्व सी.ई.ओ. स्टीव बाल्मर भी उपस्थित नहीं हुए। तकनीकी उद्योग द्वारा इजरायली मिलिटरी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (ए.आई.) सपनाई करने

महिला टैकी, इब्तिहाल अबूसाद व वनिया अग्रवाल ने सार्वजनिक रूप से आरोप लगाया कि माइक्रोसॉफ्ट के टैकनिकल स्टाफ के हाथ खून से रंगे हैं। क्योंकि, इजरायल माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित ए.आई. सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल चिन्हित बम्बारी के लिये कर रहा है तथा पचास हजार व्यक्ति मारे गये हैं।

पहले तो माइक्रोसॉफ्ट ने इस घटना के बारे में कहा कि हम हमारे सभी कर्मचारियों को अपनी बात कहने का पूरा अवसर देते हैं। पर, साथ ही यह भी कहते हैं कि अपनी बात इस तरह कहें कि कंपनी का "बिज़नेस" प्रभावित न हो। अगर बिज़नेस प्रभावित होता है तो हम उस कर्मचारी को अन्याय नौकरी करने का विकल्प देते हैं।

जब इब्तिहाल अबूसाद व वनिया अग्रवाल घर पहुँचीं तो उन्होंने पाया कि वो अपना कम्पनी वर्क एकाउंट नहीं खोल पा रही हैं, उनके विरोध प्रदर्शन के बाद। यह इस बात का संकेत था कि उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है।

को लेकर यह नवीनतम विरोध, अमेरिका में फैली इजरायल विरोधी गहरी भावनाओं को उजागर करता है।

यह विरोध उस समय शुरू हुआ जब माइक्रोसॉफ्ट ए.आई. के सी.ई.ओ. मुस्ताफा सुलेमान प्रॉडक्ट अपडेट्स

शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में बाबूलाल कटारा और सहारण को जमानत नहीं

जयपुर, 5 अप्रैल। सीबीआई मामलों की विशेष अदालत ने द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2022 के पेपर लीक मामले में आरोपीएससी के सदस्य रहे बाबूलाल कटारा और एक अन्य आरोपी गोपाल सहारण की जमानत अर्जियों को खारिज कर दिया है। पीठासीन अधिकारी सूनील रणवाह ने

सीबीआई मामलों की विशेष अदालत ने आरोपीएससी के पूर्व सदस्य कटारा तथा एक अन्य आरोपी की जमानत अर्जियों को खारिज कर दिया।

अपने आदेश में कहा कि सार्वजनिक परीक्षाओं के पेपर लीक होने से समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे में आरोपियों को जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता।

जमानत अर्जी में आरोपी बाबूलाल कटारा ने कहा कि उसे मात्र शंका के आधार पर मामलों में आरोपी बनाया गया है। प्रश्न पत्र से संबंधित कोई भी सामग्री उससे बरामद नहीं हुई है। इसके अलावा जिस बस में अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र पढ़वैया जा रहा था, वह वहाँ भी मौजूद नहीं था। इसके साथ ही अभियोजन पक्ष के पास उसके खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य भी नहीं है। वह 65 साल का वृद्ध है और (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'जो भूमि "गैर कानूनी" तरीके से वक्फ की सम्पत्ति घोषित की गई है, उसे सरकार अपने कब्जे में ले'

योगी आदित्यनाथ सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक संसद में पारित होते ही, अपने जिलाधीशों को आदेश दिये

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 5 अप्रैल। वक्फ संशोधन बिल पारित होने के साथ ही उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार एक्शन में आ गई है। मुख्यमंत्री ने अवैध रूप से घोषित वक्फ संपत्तियों को जब्त करने के आदेश दे दिए हैं। यूपी सरकार का दावा है कि सरकार के राजस्व रिकॉर्ड में सिर्फ 2963 भूखंड ही वक्फ के तहत रजिस्टर्ड हैं। जबकि रजिस्टर 37 के अनुसार सूची वक्फ बोर्ड की लिस्ट में 1,24,355 सम्पत्तियाँ हैं और शिया वक्फ बोर्ड लिस्ट में 7,785 संपत्तियाँ दर्ज हैं। आंकड़ों की विसंगति को देखकर राज्य सरकार ऐसी सभी वक्फ संपत्तियाँ जब्त करने की तैयारी में है, जिसका रैवेन्यू रिकॉर्ड में उल्लेख नहीं है।

हालिया आदेश में रैवेन्यू विभाग ने सभी जिलाधीशों को निर्देश दिया है कि ऐसी सम्पत्तियों को चिन्हित किया जाए जिन्हें अवैध रूप से वक्फ सम्पत्ति घोषित कर रखा है। सरकार की परिभाषा के अनुसार वक्फ सिर्फ दान की गई सम्पत्तियों पर ही लागू हो सकता है। सरकार की या ग्राम समाज की जमीन को वक्फ की सम्पत्ति घोषित नहीं किया

यू.पी. सरकार के अनुसार, रैवेन्यू रिकॉर्ड्स के अनुसार, राज्य में 2963 प्रॉपर्टीज हैं, वक्फ बोर्ड के पास। परन्तु, वक्फ बोर्ड के रजिस्टर 37 के अनुसार, सूची वक्फ बोर्ड के पास 1,24,355 प्रॉपर्टी हैं तथा शिया वक्फ बोर्ड के पास 7,785 प्रॉपर्टी हैं।

अतः यू.पी. सरकार अब उन सब प्रॉपर्टीज को अधिकृत करना चाहती है, जो रैवेन्यू बोर्ड के रिकॉर्ड के अनुसार, वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति के रूप में दर्ज नहीं हैं।

यू.पी. सरकार ने सभी जिलाधीशों को निर्देशित किया है कि अपने जिले में उन सभी सम्पत्तियों को चिन्हित करें, जिन्हें "गैर-कानूनी" तरीके से वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति घोषित कर रखा है।

सरकार की परिभाषा के अनुसार, वो ही सम्पत्ति वक्फ बोर्ड की हो सकती है, जो बोर्ड को दान के रूप में मिली हो तथा ग्राम, समाज व सरकार की भूमि को वक्फ बोर्ड की भूमि नहीं माना जा सकता।

जा सकता।

इसी बीच वक्फ बनाम कैथलिक चर्च की जमीन पर भी विवाद उठ रहा है। आरएसएस के एक प्रकाशन "ऑर्गनाइज़र" में हाल ही में एक लेख छपा है जिसमें वक्फ बोर्ड और

कैथलिक चर्चों की जमीनों को एक तुलनात्मक अध्ययन किया गया। लेकिन आनन फानन में इस आलेख को हटा लिया गया। इस घटनाक्रम ने राहुल गांधी व अन्य विपक्षी नेताओं को संसद (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

नई टैक्सटाइल पॉलिसी में स्टांप ड्यूटी व पंजीकरण शुल्क में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी

अमेरिकी टैरिफ के बाद बदलते वैश्विक परिदृश्य में यह नीति वस्त्र निर्यातकों के लिये गेम चेन्जर साबित होगी

जयपुर, 5 अप्रैल। मुख्यमंत्री भजनलाल ने प्रदेश में "राजस्थान टेक्सटाइल एण्ड अपैरल पॉलिसी-2025" लागू की है। अमेरिका द्वारा रैसिप्रोकल टैरिफ लागू किए जाने के बाद बदलते वैश्विक परिदृश्य में राजस्थान के वस्त्र निर्यातकों के लिए यह नीति गेम चेंजर भी साबित होने जा रही है।

नई राजस्थान टेक्सटाइल एवं अपैरल पॉलिसी के तहत वस्त्र व परिधान क्षेत्र के उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए 10 वर्षों तक 80 करोड़ रुपये वार्षिक तक का एसेट क्रिएशन इंसेंटिव, भूमि/भवन क्रय या लीज पर स्टांप ड्यूटी व पंजीकरण शुल्क में 100 प्रतिशत छूट, बिजली उपभोग पर 100 प्रतिशत इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी छूट प्रदान की जाएगी। वहीं पर्यावरणीय समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इस नीति में ग्रीन सॉल्यूशन इंसेंटिव के तहत 12.5 करोड़

अमेरिका द्वारा भारतीय कपड़े के आयात पर लगाया टैरिफ बांग्लादेश, वियतनाम, कंबोडिया, पाकिस्तान व चीन की तुलना में कम है। यह अमेरिका को वस्त्र निर्यात बढ़ाने के लिये अनुकूल साबित हो सकता है।

रूपये तक 50 प्रतिशत, अक्षय ऊर्जा संयंत्रों के लिए बैंकिंग, व्हीलिंग व ट्रांसमिशन शुल्क का 100 प्रतिशत, पेटेंट/कॉपीराइट लागत का 50 प्रतिशत एवं भूमि रूपांतरण शुल्क का 100 प्रतिशत पुनर्भरण के प्रावधान किए गए हैं। इसी तरह निर्यात इकाइयों को फ्रेट चार्ज पर 25 प्रतिशत तथा कार्मिक प्रशिक्षण लागत का 50 प्रतिशत पुनर्भरण का प्रावधान किया गया है। हाल ही में अमेरिका द्वारा रैसिप्रोकल टैरिफ लागू जाने के बाद वैश्विक स्तर पर आर्थिक परिदृश्य लगातार बदलावों से गुजर रहा है। भारतीय कपड़ा आयात पर लगभग

27 प्रतिशत पारस्परिक (त्वबपचतवबंस) टैरिफ अमेरिका द्वारा लगाया गया है जो इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी देशों जैसे बांग्लादेश (37 प्रतिशत), वियतनाम (46 प्रतिशत), कंबोडिया (49 प्रतिशत), पाकिस्तान (29 प्रतिशत) और चीन (34 प्रतिशत) की तुलना में कम है। राजस्थान देश का चौथा सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है और यहाँ भीलवाड़ा, जयपुर, पाली एवं बालोतरा जैसे टेक्सटाइल हब के वस्त्र निर्माताओं के लिए लंबी अवधि में यह स्थिति अमेरिका को वस्त्र निर्यात बढ़ाने के लिए अनुकूल साबित हो सकती है।

राजस्थान में टेक्सटाइल और गारमेंट क्षेत्र से जुड़े कुशल कार्यबल की भी पर्याप्त उपलब्धता है। इस परिदृश्य में प्रदेश में लागू की गई टेक्सटाइल एवं अपैरल पॉलिसी-2025 उद्योगों एवं निर्यातकों के लिए सोने पर सुहागा साबित होगी। इस नीति का उद्देश्य आधुनिक अवसरचना एवं तकनीकी उन्नयन के माध्यम से टेक्सटाइल वैल्यू चेन को मजबूती देना है। नीति के अंतर्गत समावेशी विकास पर विशेष ध्यान देते हुए इस क्षेत्र में 10 हजार करोड़ रुपये के निवेश तथा 2 लाख रोजगार के सृजन पर भी जोर दिया गया है। इस नीति के माध्यम से 5 नए टेक्सटाइल पार्क विकसित करने के साथ ही, नई व विस्तारित हो रही परिधान निर्माण इकाइयों को सहायता दी जाएगी।

यह नीति प्रदेश में टेक्सटाइल एण्ड अपैरल क्षेत्र के सतत व समग्र विकास के साथ-साथ इस क्षेत्र में रोजगार सृजन, कौशल विकास, नवाचार, उत्पादकता और निर्यात को बढ़ावा देगी। वहीं दूसरी ओर इससे वैश्विक स्तर पर स्थानीय वस्त्र उत्पादकों की दक्षता और विश्वसनीयता में वृद्धि के साथ ही, प्रदेश में परिधान (अपैरल) उद्योग के एक नये दौर की शुरुआत होगी।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रामनवमी पर शुभकामनाएं दीं

जयपुर, 5 अप्रैल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रामनवमी के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं हैं। शर्मा ने कहा कि भगवान श्रीराम का जीवन हम सभी के लिए अनुकरणीय है। उनका जीवन त्याग, सेवा, वचनबद्धता और कर्तव्यनिष्ठा का ऐसा अनुपम उदाहरण है, जो सम्पूर्ण जनमानस के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को आन किया कि वे भगवान श्रीराम के आदर्शों को जीवन में आत्मसात करते हुए देश एवं समाज की उन्नति में अपना योगदान देने का संकल्प लें।